भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 5302

दिनांक 25.07.2019 को उत्तर दिए जाने के लिए

जल ग्रिड हेतु वित्तीय सहायता

5302. डॉ॰ जी॰ रणजीत रेड्डीः

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्र सरकार को दूर–दराज के गांवों को पेयजल की पूर्ति के लिए जल ग्रिड हेतु वित्तीय सहायता के लिए तेलंगाना सरकार से कोई प्रस्ताव/अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई करने पर विचार किया गया है;

(ग) जल जीवन मिशन के अन्तर्गत 'हर घर जल' से संबंधित पहलू के कार्यान्वयन को किस ढंग से वर्ष 2022 तक सुनिश्चित किया जाएगा; और

(घ) क्या तेलंगाना जैसे राज्यों, जहां गंभीर जल संकट है, पर कोई विशेष जोर दिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति मंत्रालय

(श्री रतन लाल कटारिया)

(क) से (घ) पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (डीडीडब्ल्यूएस), जल शक्ति मंत्रालय को तेलंगाना सरकार से एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने कार्य निष्पादन वाला राज्य होने के नाते और पूर्व-वित्त पोषण संकल्पना के मानदंडों के आधार पर राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के अंतर्गत अतिरिक्त निधियों की माँग की है। केंद्रीय बजट अभिभाषण 2019-20 में की गई घोषणा के अनुसार, जल जीवन मिशन के अंतर्गत वर्ष 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों को नल जल आपूर्ति सुनिश्चित कराने की परिकल्पना की गई है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अंतर्गत यह कार्यक्रम वर्षा जल संचयन, भू-जल पुनर्भरण और कृषि में पुनः उपयोग किए जाने हेतु घरेलू अपशिष्ट जल के प्रबंधन जैसे स्रोत स्थायित्व के लिए स्थानीय आधारभूत अवसंरचना के निर्माण सहित स्थानीय स्तर पर जल की एकीकृत मांग एवं आपूर्ति पक्ष के प्रबंधन पर ध्यान केन्द्रित करेगा। नए जल जीवन मिशन के अंतर्गत, तेलंगाना राज्य को अनुमोदित आबंटन मानदंड के अनुसार निधियों का उनका उचित शेयर उपलब्ध कराया जाएगा।